रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

• प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 1987/पौष 17, 1908
No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 1987/PAUSA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 7 जनवरी 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 21 (अ):—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 365 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 386 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (साक्षी व्यय संदाय) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों से, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है,

(2) "न्यायालय" से अधिनियम की धारा 361 के पोत दुर्घटनाओं में यथारीति अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है।

3. साक्षियों को उचित व्ययों का संदाय :—(1) जब किसी व्यक्ति को न्यायालय में साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए बुलाया जाए, तो वह न्यायालय में हाजिर होने में उपगत व्यय का संदाय निम्नलिखित दर से प्राप्त करने का हकदार होगा :—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम का कर्मचारी है, तो उसे कोई यात्रा भत्ता या अन्य भत्ते संदत्त नहीं किए जाएंगे किन्तु प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग, जिसकी अधिकारिता से अधीन अन्वेक्षण या जांच की जा रही है, द्वारा उसे एक प्रमाणपत्र न्यायालय में उससे हाजिर होने की तारीख और समय स्पष्ट रूप से बताते हुए

जारी किया जाएगा जिससे कि वह ऐसे व्यय का दावा अपने मूल विभाग से कर सके।

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति उस जहाज के फलक पर, जिसकी दुर्घटना का अन्वेषण या जांच न्यायालय द्वारा की जा रही है, नियुक्त मास्टर, मेट, इंजीनियर या अन्य कोई नाविक है, तो उसे यात्रा या अन्य भत्ते निम्नलिखित के अनुसार संदत्त किए जाएंगे :—

(i) यदि वह व्यक्ति मास्टर, मेट या इंजीनियर है, तो वे भत्ते जो केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं,

(ii) यदि वह पेटी आफिसर है, तो वे भत्ते जो केन्द्रीय सरकार के समूह "ख" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं, और

(iii) सभी नाविकों को वे भत्ते जो केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

(ग) ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों को जो उपर्युक्त प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग में नहीं आते हैं, वास्तविक यात्रा व्यय और ऐसे अन्य भत्ते, जो न्यायालय विनिश्चित करे, संदत्त किए जाएंगे।

(2) यदि उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस श्रेणी से किसी निम्नतर श्रेणी में यात्रा करता है जिससे वह यात्रा करने के लिए हकदार है तो व्यय के भाग के रूप में उसे संदेय यात्रा व्यय उसके द्वारा उपगत वास्तविक व्यय तक सीमित होंगे।

4. साक्षियों की हाजिरी रखना :—(1) प्रधान अधिकारी वाणिज्यिक समुद्र बेडा विभाग, जिसके अधिकारिता के अधीन अन्वेषण या जांच की जा रही है, न्यायालय में सभी साक्षियों का हाजिर होने का अभिलेख रखेगा और नियम 3 के अनुसार व्यष्टिक साक्षियों का संदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(2) साक्षियों को किए गए संदाय पर उपगत व्यय संबंधित वाणिज्यिक समुद्र बेडा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

[फा. सं. एस डब्ल्यू/5-एम एस आर(1)/86-एम ए]

इ. डी. सूद, अवर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Shipping Wing)

New Delhi, the 7th January, 1987

NOTIFICATION

GSR 21(E).—In exercise of the powers conferred by section 386 read with sub-section (2) of section 365 of the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Payment of Expenses to Witnesses) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In rules, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).

(2) "court" means a Judicial Magistrate of the first class specially empowered in this behalf by the Central Government and a Metropolitan Magistrate making formal investigations into shipping casualties under section 361 of the Act.

3. Payment of reasonable expenses to witnesses:—(1) Where a person is called upon to attend the court as a witness, he shall be entitled to receive the payment of expenses incurred in attending the court at the following rates:—

(a) If such a person is an employee of the Central or the State Government or any Government undertaking he shall not be paid any traveling or other allowances but a certificate shall be issued to him by the Principal Officer Mercantile Marine Department under whose jurisdiction the investigation or inquiry is being conducted stating clearly the date and time of his attendance at the court to enable him to claim such allowances from his parent department.

(b) if such a person is a master mate engineer or any other seaman employed on board ship whose casualty is being investigated or enquired into by the court he shall be paid travelling and other allowances as under :—

(i) if he is a master, mate or engineer the allowances as are admissible to Group A officers of the Central Government,

(ii) if he is a petty officer allowances as are admissible to group B officers of the Central Government, and

(iii) to all other seaman, allowances as are admissible to the Group C officers of the Central Government.

(c) All other persons who are not covered in any of the above mentioned categories shall be paid the actual travelling expenses andsuch other allowances as may be decided by the court (but shall not be same that payable to a witness appearing in his court in a criminal Trial).

(2) In case the person referred to in clause (b) of sub-rule (1) undertakes journey in a class lower than the class by which he is entitled to travel the travelling expenses payable to him as a part of the expenses shall be limited to the actual expenses incurred by him.

4. Mainaince of witnesses attendance:—(1) The Principal Officer Mercantile Marine Department under whose jurisdiction the investigation or inquiry is being conducted shall maintain a record of attendance of all the witness at the court and shall arrange to make the payments to the individual witnesses in accordance with clauses (b) and (c) of sub-rule (1) and sub-rule 3.

(2) The expenditure incurred on payment made to the witnesses shall be born by the concerned Mercantile Marine Department.

[F. No. SW|5-MSR(1)|86-MA]

D. D. SOOD, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987